

19 <sup>10</sup>/<sub>2023</sub>

पत्रावली पेश हुई। उच्च पक्षकारण उपस्थित।  
वकील जर्जी द्वारा डा. पत्र धारा - 128 पर बयान युक्त  
उच्च पक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते ऑर्डर  
क्रि.क्रं 26/10/2023 को पेश है।

  
5.10.23

26 <sup>10</sup>/<sub>2023</sub>

पत्रावली पेश हुई। उच्च पक्षकारण उपस्थित।  
वकील जर्जी ने बयान अन्तिम की। उच्च पक्ष  
को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया  
गया। डा. पत्र धारा - 128 पर गवन किया  
गया। जर्जी का डा. पत्र धारा - 128 का  
स्वीकार योग्य पाया जाता है। कतः जर्जी का  
डा. पत्र धारा - 128 का स्वीकार योग्य पात्रे  
जो से स्वीकार किया जाकर डा. पत्र निर्णय  
पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय की  
इजलास में सुनाया गया। निर्णय की जाते  
पालनार्थ तहसीलदार शबतभाय को मिजबरी  
जो। पत्रावली फंसल नुमांर देकर नम्बर से  
कम की जाकर शां. नम्बर हो।

  
संयोजक अधिकारी  
रावतभाय

